उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल।

माननीय श्री जस्टिस आलोक कुमार वर्मा

25 मार्च, 2022

प्रथम जमानत आवेदन संख्या 2349/2021

के बीचः

आशीष वशिष्ठ ...आवेदक

और

उत्तराखंड राज्य। ...प्रतिवादी

आवेदक के लिए वकीलः श्री अरविंद वशिष्ठ, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शुभ्र रस्तोगी के ब्रीफ होल्डर विद्वान अधिवक्ता श्री हेमंत सिंह मेहरा।

राज्य के लिए वकील/उत्तरदाता श्री टी.सी. अग्रवाल, विद्वान उप महाधिवक्ता के साथ राज्य के लिए विद्वान ब्रीफ होल्डर श्री रोहित ध्यानी।

के साथ

प्रथम जमानत आवेदन संख्या 2942/2021

के बीचः

शरत पंत ...आवेदक

और

उत्तराखंड राज्य। ...प्रतिवादी

के साथ

प्रथम जमानत आवेदन संख्या 2943/2021

के बीचः

श्रीमती मल्लिका पंत ...आवेदक

और

उत्तराखंड राज्य। ...प्रतिवादी

आवेदकों के लिए वकीलः	विद्वान अधिवक्ता श्री नवनीत कौशिक।
राज्य के लिए वकील/उत्तरदाता	श्री टीसी अग्रवाल, विद्वान उप महाधिवक्ता के साथ राज्य के लिए विद्वान ब्रीफ होल्डर श्री रोहित ध्यानी।

माननीय आलोक कुमार वर्मा, जे.

इन तीन जमानत आवेदनों को थाना कोतवाली शहर, जिला हरिद्वार में पंजीकृत एफआईआर नंबर 593/2021 अंतर्गत धारा 188, 269, 270, 420, 467, 468, 471, 120बी भा0दं0सं0, धारा 3 महामारी रोग अधिनियम 1897 और धारा 53 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के संबंध में नियमित जमानत देने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

2. आवश्यक तथ्य सीमित सीमा तक यह हैं कि सूचनाकर्ता डॉ0 शंभू कुमार झा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार ने 17.06.2021 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक व्यक्ति द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को शिकायत की गई थी (संक्षेप में ''आईसीएमआर'') कि रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने के लिए उसका आधार कार्ड नंबर और मोबाईल नंबर का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसके द्वारा कोई नमूना नहीं दिया गया था। उक्त शिकायत को आईसीएमआर ने 14.05.2021 को उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग को वापस भेज दिया था। अन्वेषण के दौरान, साक्ष्य इस आशय के पाए जाते हैं कि रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए नमूना संग्रह केंद्र का नाम ''मै0 मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस कुंभ मेला'' दिखाया गया तथा नमूने के परीक्षण ''नलवा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड'' हिसार द्वारा किया गया था। श्री शरत पंत और उनकी पत्नी श्रीमती मल्लिका पंत (आरोपी व्यक्ति) ''मै0 मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस'' के भागीदार थे। इन दोनों व्यक्तियों, अर्थात् श्री शरत पंत और श्रीमती मल्लिका पंत ने ''नलवा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड'' हिसार और ''डॉ0 लालचंदानी लैब'', दिल्ली के साथ एक एम0ओ0यू0 यह कहकर किया कि उनकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है। श्री शरत पंत, आवेदक–अभियुक्त ने दिनांक 11.01.2021 को एक शपथपत्र दिनांकित 11–01–2021 इस आशय का दाखिल किया था कि ''डॉ0 लालचंदानी लैब'', दिल्ली तथा ''नलवा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड'' हिसार उससे संबंधित हैं और कुंभ मेला अधिकारी को गुमराह करके, सरकार से कोविड–19 के परीक्षण के लिए अनुबंध लिया। जबकि, उनकी फर्म आईसीएमआर के दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षण प्रयोगशाला की कमी होने के कारण, कोविड–19 के लिए परीक्षण करने के लिए अधिकृत नहीं थी। आवेदक–अभियुक्त आशीष वशिष्ठ हरियाणा के भिवानी में पैथोलॉजी लैब, ''डेल्फिया'' के निदेशक थे। आवेदकों ने फर्जी परीक्षण रिपोर्ट तैयार कर, आईसीएमआर के वेब–पोर्टल पर अपलोड किया और लगभग 4 करोड़ रुपये के बिल जमा किए थे, जिनमें से उन्होंने 15,41,670 / – रुपये निकाले थे।

3. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद वशिष्ठ के साथ आवेदक–आशीष वशिष्ठ के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री हेमंत सिंह मेहरा व आवेदकों श्री शरत पंत व श्रीमती मल्लिका पंत के लिए श्री नवनीत कौशिक तथा श्री टी.सी. अग्रवाल विद्वान उप महाधिवक्ता के साथ राज्य के लिए ब्रीफ होल्डर श्री रोहित ध्यानी को सुना तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

4. जमानत के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 बहुत व्यापक शक्तियां प्रदान करती है। लेकिन, जमानत देते समय, उच्च न्यायालय अन्य अदालत के समान विचारों द्वारा निर्देशित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपराध की गंभीरता, साक्ष्य के चरित्र और इस तरह के अन्य आधारों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

5. समाज को जमानत देने या इनकार करने में एक महत्वपूर्ण रुचि है, क्योंकि आपराधिक अपराध समाज के विरुद्ध अपराध है। दूसरी ओर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत कीमती मौलिक अधिकार है और इसे केवल तभी रोकना चाहिए जब यह मामले के अजीब तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार अनिवार्य हो जाए। इसलिए, न्यायालय को आवेदक (अभियुक्त) के हित के साथ बड़े पैमाने पर समाज को संतुलित करने सहित कई कारकों को संतुलित करना चाहिए।

6. **कल्याण चंद्र सरकार बनाम के मामले में राजेश रंजन, (2004) 7 एससीसी 528** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जमानत देने या इन्कार करने के संबंध में विधि सुस्थापित है। जमानत देने वाली अदालत को विवेकपूर्ण तरीके से अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए न कि निश्चित रूप से। यद्यपि जमानत देने के चरण में साक्ष्य की एक विस्तृत परीक्षा और मामले की योग्यता के विस्तृत दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, ऐसे आदेशों में प्रथम दृष्टया निष्कर्ष निकालने के कारण कि जमानत क्यों दी जा रही थी, के संकेत देने की आवश्यकता है, विशेष रूप से जहां अभियुक्त पर गंभीर अपराध करने का आरोप लगाया गया है।

7. **यूपी राज्य बनाम अमरमणि त्रिपाठी, (2005) 8 एससीसी 21** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यह सुस्थापित है कि जमानत के लिए एक आवेदन में विचार किए जाने वाले मामले हैं (i) क्या यह मानने के लिए कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया था, (ii) आरोप की प्रकृति और गंभीरता, (iii) सजा की स्थिति में सजा की गंभीरता, (iv) यदि जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्त के फरार होने या भागने का खतरा, (v) चरित्र, व्यवहार, साधन, स्थिति व अभियुक्त का रूतबा, (vi) अपराध को दोहराने की संभावना, (vii) गवाहों के साथ छेड़छाड़ की युक्तियुक्त आशंका, और (viii) निश्चित रूप से, जमानत देने से न्याय के विफल होने का खतरा।

8. यह निर्धारित करने में कि क्या जमानत देनी है, आरोप की गंभीरता और सजा की गंभीरता दोनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जमानत के लिए एक आवेदन को निपटाने के दौरान, प्रथम दृष्टया कारणों पर विचार करते हुए कि जमानत क्यों दी जा रही है, आदेश में संकेत देने की आवश्यकता है, विशेष रूप से जहां एक अभियुक्त पर गंभीर

अपराध करने का आरोप लगाया जाता है। कोई भी बिना कारण का आदेश मस्तिष्क का प्रयोग ना करने से ग्रस्त है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह और अन्य, (2002) 3 एससीसी 598** के मामले में माना गया है।

9. आवेदक–आशीष वशिष्ठ के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद वशिष्ठ ने प्रस्तुत किया कि आवेदक–आशीष वशिष्ठ हरियाणा के भिवानी में पैथोलॉजी लैब 'डेल्फिया' के निदेशक थे। बॉम्बे की इन्वेक्स कंपनी ने आवेदक को महाकुंभ मेले के दौरान रैपिड एंटीजन टेस्ट आयोजित करने की सुविधा प्रदान की। वह 'मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज' से जुड़े, जो कुंभ मेले में कोविड–19 टेस्ट की निविदा दे रहे थे। आवेदक ने रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 'इनवेक्स' और 'मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज' को जनशक्ति प्रदान की थी। आवेदक–आशीष वशिष्ठ और राज्य प्रशासन के बीच कोई अनुबंध नहीं था। आवेदक ने कभी कोई बिल नहीं उठाया। उन्हें सरकार से या 'मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज' से कोई राशि नहीं मिली है। रैपिड एंटीजन टेस्ट के संबंध में कोई फर्जी रिपोर्ट उनके द्वारा आईसीएमआर के वेब–पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई थी। उन्हें इस मामले में फंसाया गया है और वह 22.07.2021 से न्यायिक हिरासत में हैं।

10. श्री नवनीत कौशिक, आवेदकों के लिए विद्वान अधिवक्ता, शरत पंत और श्रीमती मल्लिका पंत ने प्रस्तुत किया कि ये दोनों आवेदक एक पंजीकृत फर्म 'मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज' के भागीदार थे। 31.12.2020 को, राज्य सरकार ने कुंभ मेले में कोविड परीक्षण करने के लिए इच्छुक पक्षों से 'रुचि की अभिव्यक्ति' आमंत्रित की। प्राधिकरण के प्रमाण पत्र 'नलवा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड' द्वारा जारी किए गए थे। लिमिटेड, हरियाणा और 'डॉ0 लालचंदानी लैब लिमिटेड', नई दिल्ली। इन दोनों प्रयोगशालाओं ने कोविड–19 रैपिड एंटीजन टेस्ट और रैपिड आरटी–पीसीआर टेस्ट में अपनी ओर से भाग लेने के लिए इन दोनों आवेदकों की फर्म को अधिकृत किया। इसलिए, इन दोनों आवेदकों की फर्म ने महाकुंभ मेले में परीक्षण के लिए अपने प्राधिकरण के लिए अपना 'रुचि की अभिव्यक्ति' प्रस्तुत की, जिसे कुंभ मेला अधिकारियों और राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इन दोनों आवेदकों की फर्म ने 'नलवा प्रयोगशालाओं' और 'डॉ0 लालचंदानी लैब्स' के साथ 10.03.2021 को एक 'कंसोर्टियम एग्रीमेंट' में प्रवेश किया। इन दोनों प्रयोगशालाओं ने रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटी–पीसीआर टेस्ट का काम किया। 'नलवा लैब' द्वारा किए गए परीक्षण से संबंधित सभी तकनीकी कार्य। राज्य सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट आयोजित करने के लिए आवेदकों की फर्म को अधिकृत किया, जिसमें वास्तविक नमूना संग्रह, परीक्षण और संबंधित प्रयोगशालाओं के माध्यम से डेटा को फीड करना शामिल है। उक्त सभी संग्रह अभ्यास स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ–साथ पुलिस अधिकारियों की देखरेख में किए गए थे। वास्तविक कार्य 'नलवा प्रयोगशालाओं' द्वारा आयोजित किया गया था और परीक्षणों के संचालन के बाद, ''नलवा प्रयोगशालाओं'' ने 'इन्वेक्स हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड' के बिलों के साथ परीक्षणों के डेटा को आगे बढ़ाया। लिमिटेड' 'इन्वेक्स हेल्थ प्रा0 लिमिटेड' बिलों और आवेदकों की फर्म ने केवल भुगतान के लिए राज्य के

अधिकारियों को बिल जमा किए। आवेदकों की फर्म डेटा का परीक्षण और फीड करने में कभी शामिल नहीं थी। उनकी फर्म केवल सरकार और उक्त दो प्रयोगशालाओं के बीच एक समन्वयक थी। अन्वेषण के दौरान आवेदकों ने अन्वेषण एजेंसी के साथ सहयोग किया। आवेदकों के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला भी नहीं है। आवेदकों को झूठा फंसाया गया है और वे 08.11.2021 से न्यायिक हिरासत में हैं।

11. श्री टीसी अग्रवाल, राज्य के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान उप महाधिवक्ता, ने आवेदकों के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतिकरण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अन्वेषण के दौरान, सभी तीन आवेदकों–आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सबूत पाए जाते हैं कि इन व्यक्तियों ने फर्जी परीक्षण रिपोर्ट तैयार की थी। आवेदक–शरत पंत ने राज्य के संबंधित अधिकारी के समक्ष एक हलफनामा प्रस्तुत किया था जिसमें कहा गया था कि डॉ0 लालचांदनी और नलवा लेबोरेटरीज लैब की लैब उनके हैं, जबकि आवेदकों के पास परीक्षण रिपोर्ट तैयार करने का कोई अधिकार नहीं था। आवेदकों ने पूर्वोक्त परीक्षण के लिए अनधिकृत व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति की। उन्होंने परीक्षण के फर्जी बिल जमा किए। उन्होंने सरकार के लगभग 4 करोड़ रुपये की धनराशि हड़पने की कोशिश की, जिसमें से उन्होंने 15,41,670/ – रुपये वापस ले लिए थे। उक्त राशि 'मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज' के खाते में जमा की गई थी; आवेदक–अभियुक्त शरत पंत और श्रीमती की फर्म मल्लिका पंत''– आवेदक–आशीष वशिष्ठ के कहने पर दो फर्जी रजिस्टर और एक लैपटॉप बरामद किया गया। आवेदक शरत पंत और श्रीमती मल्लिका पंत ने अपनी फर्म 'मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज' के आईडी से आईसीएमआर के वेब–पोर्टल पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के बारे में नकली रिपोर्ट अपलोड की।

12. श्री टीसी अग्रवाल, राज्य के लिए विद्वान उप महाधिवक्ता, ने आगे प्रस्तुत किया कि अन्वेषण के दौरान, अन्वेषण अधिकारी ने दर्ज किया दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत 19 से अधिक स्वतंत्र गवाहों के बयान, और उन सभी ने इस अपराध में आवेदकों की भूमिका का खुलासा किया। रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि पुलिस को आवेदकों के साथ कोई दुश्मनी थी। इसलिए आवेदकों को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं है, बल्कि, उनकी भागीदारी पूरी तरह से साक्ष्य से स्थापित है, जो अन्वेषण अधिकारी द्वारा एकत्र की गई है। राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि सरकार कोविड–19 की महत्वपूर्ण स्थिति में लोगों के जीवन को बचाने में लगी हुई थी, जबकि ये तीन आवेदक–आरोपी व्यक्ति अवैध रूप से उन परिस्थितियों का लाभ उठाने में लगे हुए थे।

13. **अनिल कुमार यादव बनाम राज्य (एनसीटी) और एक अन्य, 2018 (1) सीसीएससी 117** में सर्वोच्च न्यायालय यह निष्कर्ष दिया है कि गंभीर अपराधों में, केवल यह तथ्य कि अभियुक्त एक वर्ष से अधिक समय से अभिरक्षा में है, अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के लिए एक प्रासंगिक विचार नहीं हो सकता है।

14. इस स्तर पर गहराई से साक्ष्य पर चर्चा करना अनुचित होगा। इस स्तर पर, साक्ष्य की विस्तृत सराहना परीक्षण को प्रभावित करेगी। लेकिन, अन्वेषण अधिकारी द्वारा अन्वेषण के दौरान एकत्र किए गए सबूतों से, यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि आवेदक–आरोपी व्यक्ति इस अपराध में शामिल थे। आवेदकों को फंसाने का कोई कारण नहीं पाया गया है।

15. इसलिए, आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतिकरण में कोई बल नहीं है और इस स्तर पर आवेदक को जमानत पर छोड़े जाने हेतु कोई अच्छा आधार नहीं पाया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है। फलस्वरूप जमानत प्रार्थनापत्र तद्नुसार निरस्त किया जाता है।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि जमानत आवेदन के बारे में की गई टिप्पणियां इस स्तर पर पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए तथ्यों के प्रकाश में, इस जमानत के निर्णय तक ही सीमित हैं कि जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं। उक्त अवलोकन मामले के विचारण को प्रभावित नहीं करेंगे।

————————————————

आलोक कुमार वर्मा, जे.

दिनांकः 25 मार्च, 2022
जेकेजे / नेहा